UPMT010031512023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित–विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
सत्र परीक्षण संख्या–567/2023

उत्तर प्रदेश राज्य

-----अभियोजन पक्ष

प्रति

1–सचिन पुत्र श्री रामेश्वर, आयु लगभग 22 वर्ष,

2–राजू पुत्र श्री बीधाराम, आयु लगभग 48 वर्ष,

3–विपिन पुत्र श्री बीधाराम, आयु लगभग 28 वर्ष,

4–रामेश्वर पुत्र श्री बीधाराम, आयु लगभग 45 वर्ष,

5–विनीता पत्नी श्री रामेश्वर, आयु लगभग 40 वर्ष

समस्त निवासीगण–नगला झींगा, थाना मगोर्रा, जिला मथुरा

------अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या–228/2021
धारा–147,323/149,308/149,
336 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना–मगोर्रा, जिला मथुरा।

निर्णय

उपरोक्त सत्र परीक्षण, वादी मुकदमा अजीत सिंह पुत्र कल्यान सिंह, निवासी नगला झींगा, थाना मगोर्रा, जिला मथुरा के प्रार्थनापत्र के आधार पर अभियुक्तगण सचिन, राजू, विपिन, रामेश्वर व विनीता के विरूद्ध पंजीकृत हुए मुकदमा अपराध संख्या–228/2021 अंतर्गत धारा–147,323,336 भारतीय दण्ड संहिता के आधार पर, बाद विवेचना अभियुक्तगण सचिन, राजू, विपिन, रामेश्वर व विनीता के विरूद्ध आरोपपत्र अंतर्गत धारा–147,323,336,308 भारतीय दण्ड संहिता प्रस्तुत होने के उपरान्त, सत्र न्यायालय को सुपुर्द होकर कायम हुआ।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार वादी अजीत सिंह ने थाना प्रभारी, थाना मगोर्रा, जिला मथुरा को सम्बोधित एक तहरीर इस आशय की प्रस्तुत की कि वह नगला झींगा,

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.18 16:57:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

थाना मगोर्रा, मथुरा का निवासी है। दिनांक 20.11.2021 को उसकी चाची श्रीमती मीना देवी पत्नी रनवीर सिंह समय करीब शाम 6 बजे अपने नौहरे से घर जा रही थी। रास्ते में जाते समय उसकी चाची से सचिन पुत्र रामेश्वर, राजू पुत्र वीधाराम, विपिन पुत्र वीधाराम, रामेश्वर पुत्र वीधाराम, विनीता पत्नी रामेश्वर ने एकजुट होकर डण्डा और लात–घूंसों से जमीन पर डालकर मारपीट की। उसकी चाची के चिल्लाने पर आवाज को सुनकर कुछ लोग पड़ोसी आये। लोगों को देखकर राजू पुत्र वीधाराम ने पत्थर उठाकर मार दिया जिससे उसकी चाची को गंभीर चोटें आयी हैं।

3– वादी अजीत सिंह द्वारा थाना मगोर्रा, जिला मथुरा पर प्रस्तुत उक्त आशय के प्रार्थनापत्र, जो कि पत्रावली पर प्रदर्श क–1 है, के आधार पर अभियुक्तगण सचिन, राजू, विपिन, रामेश्वर व विनीता के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–228/2021 अंतर्गत धारा–147,323,336 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत हुआ, जिसमें दौरान विवेचना धारा 308 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी करते हुए बाद विवेचना अभियुक्तगण सचिन, राजू, विपिन, रामेश्वर व विनीता के विरूद्ध धारा–147,323,336,308 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया।

4– अभियुक्तगण सचिन, राजू, विपिन, रामेश्वर व विनीता अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये और अवर न्यायालय द्वारा उक्त अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय पाते हुए दिनांक 21.02.2023 को यह प्रकरण सत्र न्यायालय को विचारण हेतु सुपुर्द किया गया।

5– अभियुक्तगण सचिन, राजू, विपिन, रामेश्वर व विनीता के सत्र न्यायालय में उपस्थित आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 21.04.2023 को आरोप अंतर्गत धारा 147,323/149,308/149,336 भारतीय दण्ड संहिता विरचित किया गया, जिनसे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की प्रार्थना की।

6– अभियोजन पक्ष से अभियुक्तगण सचिन, राजू, विपिन, रामेश्वर व विनीता के विरूद्ध विरचित किए गए आरोपों को सिद्ध करने हेतु पी०डब्लू० 1 लगायत पी०डब्लू० 5 के रूप में निम्नवत् साक्षीगण परीक्षित कराए गए–

पी०डब्लू० 1	अजीत सिंह/वादी मुकदमा
पी०डब्लू० 2	मीना/मजरूबा
पी०डब्लू० 3	डॉ० सुशील कुमार
पी०डब्लू० 4	है०कां० रविन्द्र कुमार
पी०डब्लू० 5	सेवानिवृत्त निरीक्षक/विवेचक प्रदीप कुमार सेंगर

7– अभियोजन पक्ष से अपने कथानक के समर्थन में निम्नांकित प्रपत्र भी प्रस्तुत किए गए, जिन पर उनके समक्ष अंकित प्रदर्श अंकित किए गए–

तहरीर वादी	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू० 1 द्वारा सिद्ध किया गया

मैडीकल मीना देवी	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू० 3 द्वारा सिद्ध किया गया
सप्लीमेंट्री रिपोर्ट	प्रदर्श क–3	पी०डब्लू० 3 द्वारा सिद्ध किया गया
चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क–4	पी०डब्लू० 4 द्वारा सिद्ध किया गया
सप्लीमेंट्री रिपोर्ट	प्रदर्श क–5	पी०डब्लू० 4 द्वारा सिद्ध किया गया
आरोपपत्र	प्रदर्श क–6	पी०डब्लू० 5 द्वारा सिद्ध किया गया
एक्सरे रिपोर्ट	प्रदर्श क–7	अभियुक्त पक्ष द्वारा मौलिकता स्वीकार की गयी
सी०टी० स्कैन मेडीकोलीगल ओपीनियन	प्रदर्श क–8	अभियुक्त पक्ष द्वारा मौलिकता स्वीकार की गयी
नक्शानजरी	प्रदर्श क–9	अभियुक्त पक्ष द्वारा मौलिकता स्वीकार की गयी

8– अभियुक्तगण सचिन, राजू, विपिन, रामेश्वर व विनीता के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किए गए, जिनमें उन्होंने उन पर लगाये गये आरोपों को गलत बताया, पी०डब्लू० 1/वादी अजीत सिंह द्वारा मुख्य परीक्षा में गलत बयान देना बताया। पी०डब्लू० 2 मीना/मजरूबा, पी०डब्लू० 3 डॉ० सुशील कुमार, पी०डब्लू० 4 है०कां० रविन्द्र कुमार द्वारा मुख्य परीक्षा में दिये गये बयानों के संबंध में कुछ नहीं कहना बताया , पी०डब्लू० 5 प्रदीप कुमार सेंगर/विवेचक द्वारा स्वयं बयान लिखना, कोई बयान नहीं लेना एवं सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर करके गलत आरोपपत्र प्रेषित किया जाना बताया व उनके विरूद्ध गलत मुकदमा चलना बताया।

9– इस प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किए गए हैं कि उनके द्वारा दिनांक 20.11.2021 को समय सायं करीब 6 बजे, स्थान नगला झींगा, अंतर्गत थाना मगोर्रा, जिला मथुरा में बलवा करते हुए वादी मुकदमा अजीत सिंह की चाची श्रीमती मीना देवी को रास्ते में जाते समय डण्डा व लातघूंसों से मारपीट कर एवं अभियुक्त राजू ने पत्थर मीना देवी के सिर में मारकर साधारण एवं गंभीर चोटें पहुंचायी गयीं।

10– उक्त आरोपों को सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष से तथ्य के साक्षीगण के रूप में पी० डब्लू० 1 व पी० डब्लू० 2 क्रमशः वादी मुकदमा अजीत सिंह व मजरूबा मीना एवं औपचारिक साक्षीगण के रूप में पी०डब्लू० 3 डॉ० सुशील कुमार, पी०डब्लू० 4 है०कां० रविन्द्र कुमार एवं पी०डब्लू० 5 सेवानिवृत्त निरीक्षक/विवेचक प्रदीप कुमार सेंगर को परीक्षित कराया गया है, जैसा कि पूर्व में अंकित किया जा चुका है।

11– इनमें से पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा अजीत सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः इस आशय के कथन किए हैं कि, दिनांक 22.11.2021 को मेरी चाची श्रीमती मीना देवी

पत्नी रणवीर सिंह शाम को लगभग छः बजे नौहरे से घर की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में मेरी चाची से सचिन पुत्र रामेश्वर, रामेश्वर पुत्र वीधाराम, विनीता पत्नी रामेश्वर, राजू पुत्र वीधाराम, विपिन पुत्र वीधाराम इन सभी ने एक राय होकर मेरी चाची पर डण्डा, लात–घूसों से जमीन पर गिराकर मारपीट की, मेरी चाची के चिल्लाने व शोर करने पर पड़ौसी लोग आये तो राजू ने पत्थर उठाकर मेरी चाची के मार दिया, जिससे मेरी चाची के गम्भीर चोटे आयीं, इस घटना की रिपोर्ट मैंने दिनांक 26.11.2021 को थाना मगोर्रा पर, स्वयं तहरीर लिखकर दी थी, जो पत्रावली पर कागज सं. 3अ/4 है, जिसे देखकर पढ़कर साक्षी ने कहा कि यही वही तहरीर है, जो मैंने थाना मगोर्रा पर दी थी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। इस घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ की थी तथा मेरे बयान लिये थे, दरोगा जी को मैंने वह स्थान दिखाया था, जहां पर घटना घटित हुई थी। दरोगा जी ने उस जगह की लिखा–पढ़ी की थी। मेरी चाची मीना देवी को जिला अस्पताल, मथुरा में भर्ती कराया था। इन सभी लोगों ने एक जुट व एक राय होकर बेरहमी से मारापीटा था। मेरी चाची की गम्भीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल से उनको जिला अस्पताल आगरा के लिये रेफर कर दिया गया था। अभियुक्तगण दबंग व आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, इसलिये उनके डर की वजह से उनके विरुद्ध कोई गवाही देने के लिये तैयार नहीं होता।

12– पी०डब्लू० 2 मीना/मजरूबा ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः इस आशय के कथन किए हैं कि, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। आज से लगभग चार साल पहले की बात मैं अपने घर से शाम को अपने नौहरे पर आ रही थी। शाम के लगभग छह बज रहे थे अंधेरा हो रहा था रास्ते में मैं दीवार से टकरा गई थी जिससे मेरे सिर में चोट लग गई थी मेरे साथ किसी ने भी एक राय होकर के कोई मारपीट नहीं की थी न ही किसी ने मेरे साथ कोई चोट पहुंचाई थी मैंने अपने भतीजे अजीत सिंह पुत्र कल्याण सिंह को इस घटना के सम्बंध में कुछ नहीं बताया था मेरे भतीजे ने गांव के लोगों के कहे अनुसार सचिन पुत्र रामेश्वर, राजू, विपिन, रामेश्वर पुत्र विदा राम, विनीता जो की मेरे ही गांव के हैं के विरूद्ध रिपोर्ट करा दी थी मेरी आई चोटों का पुलिस ने दिनांक– 20.11.2024 को जिला अस्पताल मथुरा में मेडिकल कराया था जो पत्रावली पर कागज सं०–4अ/17 है जिस पर मेरा निशानी अंगूठा लगा हुआ है। जिसकी मैं शिनाख्त करती हूँ। सचिन, राजू, विपिन, विनीता, रामेश्वर ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की थी।

13– पी०डब्लू० 3 डॉ० सुशील कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः इस आशय के कथन किए हैं कि, श्रीमती मीना देवी उम्र 35 वर्ष पत्नी रनवीर सिंह निवासी ग्राम नगला झींगा थाना मगोर्रा, जिला मथुरा को दिनांक– 20.11.2021 समय 7:35 PM पर महिला कॉ० 1037 खुशबू यादव थाना मगोर्रा, जिला मथुरा द्वारा मेडिकल परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय इमरजेंसी में लाया गया था। जिसका परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। जिसके निम्नलिखित चोटें थीं।

1. Lacerated wound 3 x 0.5 cm bone deep सिर पर बाई तरफ तथा 8 cm बाई कान से दूरी पर था। जिसके एक्स रे की सलाह दी गई थी।

2. छाती के दोनों तरफ दर्द बताया था।
3. पेट दर्द की शिकायत की थी।
4. contused swelling 4 x 3 cm बाये घुटने पर जिसका एक्स रे की सलाह दी गई।

ये सारी चोटें ताजा और hard and blunt object से आई हुई प्रतीत होती थीं। ये मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट मेरे हस्तलेख मैं हैं जिस पर मजरूबा का अंगूठा निशानी मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ, पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं०–4 अ/17 है जिसे देखकर व पढ़कर साक्षी ने कहा कि यह वहीं रिपोर्ट है जो मेरे द्वारा मजरूबा का मेडिकल परीक्षण करते समय मैंने तैयार की थी जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

मेरे द्वारा दिनांक–17.12.2021 को सप्लीमेंट्री रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई थी एक्स रे रिपोर्ट डॉ० विकास कुमार सर्जन द्वारा बनाई गई, जिसकी एक्स रे प्लेट न०–6439–6440, 6441–6442 हैं। एक्स रे में कोई फ्रेक्चर नहीं आया। डॉ० विकास द्वारा मजरूबा का सिर का सी०टी०स्केन कराने के लिए जिला अस्पताल आगरा, एस०एन० मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर किया गया था।

सी०टी० स्केन की रिपोर्ट डॉ० आर० वी० सिंह senior consultant radiologist district hospital Agra द्वारा बुक न०–5 सीरियल न०–6 पर – intracranial Hemetoma in temporo parietal region left side with Edema बताया गया। जो कि दिनांक–17.12.2021 को दिया गया। opnion–जैसा कि डॉ० आर०वी० सिंह के द्वारा intracranial Hemetoma in temporo parietal region left side with Edema लिखा गया जोकि मरीज के लिए घातक सिद्ध हो सकता था अगर इसका समय पर इलाज नहीं होता। पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं०–4 अ/16 को देखकर व पढ़कर साक्षी ने कहा कि यह वही सप्लीमेंट्री रिपोर्ट है जिसे मैंने तैयार किया था जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया।

14– पी०डब्लू० 4 है०कां० रविन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः इस आशय के कथन किए हैं कि दिनांक 26.11.2021 को मैं थाना मगोर्रा, जिला मथुरा पर, सी०सी० के पद पर तैनात था, उसी दिन वादी मुकदमा अजीत सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी नगला झींगा मगोर्रा जिला मथुरा एक लिखित प्रार्थना पत्र लेकर के थाना कार्यालय पर आये थे तो मेरे द्वारा वादी मुकदमा अजीत सिंह के प्रार्थना पत्र पर थानाध्यक्ष से मौखिक आदेश लेकर के चिक एफ०आई०आर० तैयार की थी कम्प्यूटर ऑपरेटर से बोल–बोलकर तैयार कराई थी जिस पर मेरे द्वारा मु०अ०सं०–228/2021 धारा 147, 333, 336 राज्य बनाम सचिन, राजू, विपिन, रामेश्वर, विनीता आदि के विरूद्ध पंजीकृत किया था तथा चिक एफ०आई०आर० को देखकर व पढ़कर थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर बनवाये थे पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं०–3 अ/1 लगायत 3 अ/3 को देखकर व पढ़कर साक्षी ने कहा कि यह वही एफ०आई०आर० है जिसे मैंने कम्प्यूटर ऑपरेटर से बोल–बोल कर तैयार कराई थी जिस पर थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं जिनके साथ मैंने काम किया है और उनको लिखते व पढ़ते मैंने देखा है जिनके हस्ताक्षर की मैं शिनाख्त करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

चिक एफ०आई०आर० का खुलासा मैंने जी०डी० न०–40 दिनांक–26.11.2021 समय 2:06 बजे पर किया था मुकदमा कायमी जी०डी० पत्रावली पर कागज सं०–4अ/11 है जिसे साक्षी ने देखकर व पढ़कर साक्षी ने कहा कि यह वहीं मुकदमा कायमी जी०डी० है जिसको मैंने कम्प्यूटर ऑपरेटर से बोल–बोलकर तैयार कराई थी जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

15– पी०डब्लू० 5 सेवानिवृत्त निरीक्षक/विवेचक प्रदीप कुमार सेंगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः इस आशय के कथन किए हैं कि दिनांक 28.12.2021 को मैं थाना मगोर्रा चौकी प्रभारी जाजमपट्टी के पद पर तैनात था, उक्त दिनांक को मु०अ०सं०–228/2021 धारा 147,323,308 IPC राज्य बनाम सचिन आदि थाना मगोर्रा, जिला मथुरा की विवेचना उपनिरीक्षक श्री सोनू सिंह के स्थानांतरण होने के पश्चात मुझ उपनिरीक्षक हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक के सुपुर्द की गई, जिसमें मेरे द्वारा पर्चा न०– 7 किता किया गया जिसमें पूर्व विवेचक द्वारा किता किये गए। पर्चों का अवलोकन कर विवेचना ग्रहण की गई।

दिनांक–01.01.2022 को केस डायरी का पर्चा न०– 8 किता किया गया जिसमें अभियुक्तगण के मसकन जाकर तलाश किया परिजनों ने बताया कि सभी बाहर गए हुए हैं जैसे ही आ जाते हैं आपके पास भेज देंगे।

दिनांक–04.01.2022 को केस डायरी का पर्चा न०– 9 किता किया गया जिसमें अभियुक्तगण चौकी जाजमपट्टी पर आये अभियुक्तगण को 41 CrPc के नोटिस तामील कराकर कथन अंकित किये गए साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण होने पर अभियुक्तगण सचिन, राजू, विपिन, रामेश्वर, अभियुक्ता श्रीमती विनीता के विरूद्ध धारा 147, 323, 336, 308 IPC में आरोप पत्र सं०–2/2022 मा० न्यायालय प्रेषित किया, जो आरोप पत्र पत्रावली पर कागज सं०–4अ/2 लगायत 4अ/10 है जिस पर मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ जिस पर प्रदर्श क– 6 अंकित किया गया।

16– जहाँ तक, अभियुक्तगण पर इस प्रकरण में लगाए गए आरोपों का प्रश्न है , इस सम्बन्ध में उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में , अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराए गए समस्त साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

17– अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में अभियोजन/वादी पक्ष की ओर से मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि, अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर, वादी अजीत सिंह की चाची श्रीमती मीना देवी को रास्ते में जाते समय जान से मारने की नीयत से डण्डा व लात–घूंसों से मारपीट कर एवं उसके सिर में राजू द्वारा पत्थर मारकर साधारण एवं गंभीर चोटें पहुंचायी गयीं, जिसके संबंध में पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अभियोजन साक्षियों द्वारा अपने–अपने साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन कथानक को समर्थन प्रदान किया गया है और अभियोजन प्रपत्रों से भी अभियोजन कथानक पुष्ट होता है, अतः अभियुक्तगण दोषसिद्ध घोषित करते हुए दण्डित किए जाने योग्य है।

18– प्रतिवाद में अभियुक्त पक्ष की ओर से मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि , अभियुक्तगण पूर्णतः निर्दोष है, उनके द्वारा कोई कथित अपराध कारित नहीं किया गया है,

उनके विरूद्ध कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये किसी भी साक्षी ने कथित घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्तगण पर झूठे आरोप लगाते हुए उन्हें इस प्रकरण में झूठा फँसा दिया गया है, अतः अभियुक्तगण लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

19– उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्कों के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का अवलोकन करने से विदित होता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को सिद्ध करने के आशय से सर्वप्रथम इस प्रकरण के वादी अजीत सिंह को पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में तो अभियोजन कथानक को समर्थन प्रदान करते हुए स्वयं द्वारा पंजीकृत कराई गई प्राथमिकी के तथ्यों को पुष्ट किया है, किन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी द्वारा इस आशय के कथन किए गए हैं कि घटना की सूचना उसे रात को नौ बजे मिली थी। उसे गांव के एक व्यक्ति ने बताया था कि उसकी चाची मीना देवी के साथ सचिन आदि ने मारपीट कर दी है। उसी के कहने पर उसने अभियुक्तगण के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। घटना उसके सामने नहीं हुई थी। मुल्जिम रामेश्वर ने उनके खिलाफ दिनांक 20.03.2020 की घटना के संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी तथा दिनांक 20.11.2021 की घटना के संबंध में भी उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जो मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। दारोगाजी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। गवाह को उसका धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, यदि लिख दिया हो तो वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। उसकी चाची ने भी उसे नहीं बताया था कि अभियुक्तगण ने उनके साथ कोई मारपीट की हो।

इस प्रकार पी०डब्लू० 1 अजीत सिंह, जो इस प्रकरण का वादी मुकदमा भी है, के उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में जहाँ अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, वहीं प्रतिपरीक्षा में किये गये उसके कथनों से अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है। यहाँ तक कि इस साक्षी ने घटना उसके सामने होने से भी इन्कार किया है तथा घटना की सूचना उसे रात्रि नौ बजे गांव के व्यक्ति द्वारा बताने पर होना तथा इसी आधार पर उसके द्वारा अभियुक्तगण के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देना बताया है। इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी बताया गया है कि उसकी चाची ने भी उसे नहीं बताया था कि अभियुक्तगण ने उनके साथ कोई मारपीट की हो। अतः अभियोजन पक्ष इस साक्षी के साक्ष्य से कोई लाभ प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है।

20– अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त घटना की मजरूबा मीना को पी०डब्लू० 2 के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, अपितु पी०डब्लू० 1 के साक्ष्य व अभियोजन कथानक से भिन्न साक्ष्य दिया है और स्पष्टतः कहा है कि आज से लगभग चार साल पहले की बात है, वह अपने घर से शाम को अपने नौहरे पर आ रही थी। शाम के लगभग छह बज रहे थे, अंधेरा हो रहा था रास्ते में वह दीवार से टकरा गई थी जिससे उसके सिर में चोट लग गई थी। उसके साथ किसी ने भी एक राय होकर कोई मारपीट नहीं की थी, न ही किसी ने उसके साथ कोई

चोट पहुंचाई थी। उसने अपने भतीजे अजीत सिंह को इस घटना के संबंध में कुछ नहीं बताया था। उसके भतीजे ने गांव के लोगों के कहे अनुसार सचिन, राजू, विपिन, रामेश्वर, विनीता, जोकि उसके गांव के हैं, के विरूद्ध रिपोर्ट करा दी थी। .....सचिन, राजू, विपिन, विनीता व रामेश्वर ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाये जाने पर उसने ऐसा कोई बयान दरोगा को दिये जाने से भी इंकार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष कोई लाभ प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है।

21– अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू० 1 अजीत सिंह (वादी मुकदमा) व पी०डब्लू० 2 मीना (मजरूबा) के अतिरिक्त तथ्य का अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

22– हालाँकि अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में औपचारिक साक्षीगण पी०डब्लू० 3 डॉ० सुशील कुमार, पी०डब्लू० 4 है०कां० रविन्द्र कुमार एवं पी०डब्लू० 5 विवेचक प्रदीप कुमार सेंगर को परीक्षित कराया गया है और उक्त औपचारिक साक्षीगण द्वारा अपनी–अपनी साक्ष्य के माध्यम से स्वयं द्वारा तैयार किए गए अभियोजन प्रपत्रों को सिद्ध भी किया गया है। साथ ही अभियोजन प्रपत्रों एक्सरे रिपोर्ट, सी०टी० स्कैन मेडीकोलीगल ओपीनियन व नक्शानजरी, क्रमशः प्रदर्श क–7 लगायत प्रदर्श क–9 की मौलिकता को अभियुक्त पक्ष की ओर से स्वीकार भी कर लिया गया है, किन्तु तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन न होने की स्थिति में, उक्त औपचारिक साक्षीगण के साक्ष्य व उक्त अभियोजन प्रपत्रों के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त उक्त साक्षीगण पी०डब्लू० 3 डॉ० सुशील कुमार, पी०डब्लू० 4 है०कां० रविन्द्र कुमार एवं पी०डब्लू० 5 विवेचक प्रदीप कुमार सेंगर कथित घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण नहीं हैं, अतः कथित घटना के वास्तविक घटनाक्रम के सम्बन्ध में उक्त साक्षियों के साक्ष्य से अभियोजन पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती है।

23– यह अभियोजन पक्ष का ही दायित्व होता है कि वह अभियुक्त पक्ष के विरूद्ध आपराधिक कृत्य कारित करने के मामले को सन्देह से परे सिद्ध करे, लेकिन प्रस्तुत मामले में जैसा कि ऊपर विमर्शित किया गया है, तथ्य के साक्षीगण पी०डब्लू० 1 अजीत सिंह (वादी मुकदमा) व पी०डब्लू० 2 मीना (मजरूबा) की साक्ष्य से ही मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध सन्देह से परे सिद्ध नहीं होता है।

इस स्तर पर यह भी प्रकट होता है कि वादी अजीत सिंह द्वारा या तो प्राथमिकी असत्य कथनों के साथ पंजीकृत कराई गई या उसके द्वारा अपनी साक्ष्य में असत्य कथन किए गए, निष्कर्षतः वादी अजीत सिंह के विरूद्ध धारा 344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही अग्रसारित किए जाने का भी समुचित आधार है।

24– इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व विवेचन के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण सचिन, राजू, विपिन, रामेश्वर व विनीता के विरूद्ध इस प्रकरण में लगाए गए आरोपों अंतर्गत धारा 147, 323/149, 308/149, 336

UPMT010031512023

भारतीय दण्ड संहिता को सन्देह से परे एवं युक्तियुक्त ढंग से सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है, अतः अभियुक्तगण सचिन, राजू, विपिन, रामेश्वर व विनीता सन्देह का लाभ प्राप्त करते हुए उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों अंतर्गत धारा 147,323/149,308/149,336 भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण सचिन, राजू, विपिन, रामेश्वर व विनीता को उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों अंतर्गत धारा–147,323/149,308/149,336 भारतीय दण्ड संहिता से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानतनामे निरस्त करते हुए, उनके जामिनान को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानतनामे अंतर्गत धारा 437क दण्ड प्रक्रिया संहिता निर्णय की दिनांक से 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 वादी मुकदमा अजीत सिंह के विरूद्ध धारा 344 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही नियमानुसार पृथक पत्रावली तैयार कर, अग्रसारित की जाय।

दिनांक–18.03.2026

(विकास कुमार–।)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया जाकर, खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक–18.03.2026

(विकास कुमार–।)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

खेम सिंह, पी०एस०